

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-01/2026- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० अपूर्वा दयाल, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के द्वारा दिनांक-15.02.2026 से 30.11.2026 तक कुल-289 (दो सौ नवासी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-01(25), दिनांक-01.01.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० अपूर्वा दयाल को 441 (चार सौ एकतालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक-2/एल-01/2026- 93(2) पटना, दिनांक 20/01/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अपूर्वा दयाल, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (मूर्च्छक), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव